



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 603]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2001/अग्रहायण 13, 1923

No. 603]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2001/AGRAHAYANA 13, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 875(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 8 की उपधारा (1) (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड से श्री एच. बी. चतुर्वेदी को हटाती है। तदनुसार, भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 24-5-2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 489(अ) में क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि विलुप्त हो जाएंगी।

[फा. सं. पीटी-18011/6/99-पी.टी.]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2001

G.S.R. 875(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) (c) and (d) of Section 8 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby removes Shri H.B. Chaturvedi from the Board of Kandla Port Trust. Accordingly, Sl. No 16 and entries relating to it in the Notification No. G.S.R. 489(E), dated 24-5-2000, of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing), shall be deleted.

[F. No. PT-18011/6/99-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

